क.

गुलाम हसन बेग

वी.

मोहम्मद मकबूल मैग्री और ओआरएस। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1041)

26 जुलाई, 2022

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** अभय एस**.** ओका और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:226, 227 और 228-दंड संहिता, 1860:147, 302, 323, 354 & 451 – अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया और हमले के दौरान अपीलार्थी की पत्नी ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसे दी गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" था-अन्य अपराधों के साथ हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र-निचली अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया और गैर-इरादतन हत्या के दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े।304 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने हत्या के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःनिचली अदालत को आरोप तय करने के समय अपने दिमाग को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उसे केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए-आरोप तय करने के समय अदालत द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होनी चाहिए जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती है और उस पर भरोसा किया जाता है-इस स्तर पर केवल इतना ही आवश्यक है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी ने अपराध किया है-चाहे मामला एस. एस. के तहत आता है।302 या 304 भाग II, आई. पी. सी. का निर्णय पूरे मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है जो अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष द्वारा, यदि कोई हो, रिकॉर्ड पर आता है-आरोप तैयार करने के चरण में, निचली अदालत केवल रिकॉर्ड पर पोर्ट मॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती थी।साक्ष्य अधिनियम, 1872:पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, अपने आप में, ठोस सबूत का गठन नहीं करती है-डॉक्टर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मृत शरीर की जांच के आधार पर उसका पिछला बयान है-डॉक्टर का

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अदालत में बयान ही एकमात्र ठोस सबूत है-पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उपयोग केवल एस के तहत उनके बयान की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।157, या एस के तहत अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए।159, या एस के तहत गवाह बॉक्स में अपने बयान का खंडन करना।145 साक्ष्य अधिनियम, 1872।साक्ष्य अधिनियम, 1872:एस. 45-विशेषज्ञ राय-विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह उन आंकड़ों सहित सभी सामग्रियों को न्यायालय के समक्ष रखे जो उसे एक निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करते हैं और विज्ञान की शर्तों को समझाते हुए मामले के तकनीकी पहलू पर न्यायालय को प्रबुद्ध करते हैं ताकि न्यायालय, हालांकि कोई विशेषज्ञ विशेषज्ञ की राय को उचित सम्मान देने के बाद उन सामग्रियों पर अपना निर्णय बना सके क्योंकि एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार हो जाने के बाद, यह चिकित्सा अधिकारी की नहीं बल्कि न्यायालय की राय होती है।

ग

अपील को अनुमति देते हुए, अदालत

पकड़नाः**1.** निचली अदालत को आरोप तय करते समय अपने दिमाग को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उसे केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर समर्थन अपने दिमाग को लागू किए बिना और अपनी राय के समर्थन में संक्षिप्त कारणों को दर्ज किए बिना कानून द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।हालांकि, आरोप तय करने के समय अदालत द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होनी चाहिए जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती है और उस पर भरोसा किया जाता है।ऐसी सामग्री की छान-बीन इतनी सावधानी से नहीं की जानी चाहिए कि आरोपी के अपराध या अन्यथा का पता लगाने के लिए अभ्यास को एक छोटा परीक्षण बना दिया जाए।इस स्तर पर केवल इतना आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है।एक मजबूत संदेह भी पर्याप्त होगा।निस्संदेह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **173** के संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के अलावा, न्यायालय किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो और जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए आरोप पर सीधा असर हो।**[**पैरा **27] [52-**एफ-एच**; 53-**ए**]**

डी.

ई.

च

जी.

2. वहीं, यह कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर सबूतों को जोड़ते हुए एक छोटा सा मुकदमा चलाया था। निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को हत्या के अपराध से मुक्त करने के लिए उचित समझा और इसके लिए आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े

एच.

क.

आई. पी. सी. की धारा **304** के तहत केवल रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गैर इरादतन हत्या का अपराध।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी इस तथ्य से सहमत हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" बताया गया है, इसे कथित हमले के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है जो मृतक पर किया गया था।निचली अदालत का ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है और इसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, अपने आप में, ठोस सबूत नहीं है।क्या "हृदय श्वसन विफलता" का विचाराधीन घटना के साथ कोई संबंध था, इसका निर्धारण चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ संबंधित चिकित्सा अधिकारी यानी विशेषज्ञ गवाह के मौखिक साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा अपने गवाहों में से एक के रूप में जांच की जा सकती है।डॉक्टर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मृत शरीर की जाँच के आधार पर उसका पिछला बयान है।यह ठोस प्रमाण नहीं है।अदालत में

डॉक्टर का बयान ही एकमात्र ठोस सबूत है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का उपयोग केवल धारा **157** के तहत उनके बयान की पुष्टि करने के लिए**,** या धारा **159** के तहत उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए**,** या साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **145** के तहत गवाह बॉक्स में उनके बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है।न्यायालय की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया एक चिकित्सा गवाह तथ्य का गवाह नहीं होता है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में परीक्षा में पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया गया एक सलाहकार चरित्र का होता है।विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह उन आंकड़ों सहित सभी सामग्रियों को अदालत के समक्ष रखे जो उसे निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करती हैं और विज्ञान की शर्तों को समझाते हुए मामले के तकनीकी पहलू पर अदालत को प्रबुद्ध करती हैं ताकि अदालत**,** हालांकि कोई विशेषज्ञ विशेषज्ञ की राय को उचित सम्मान देने के बाद उन सामग्रियों पर अपना निर्णय बना सके क्योंकि एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार हो जाने के बाद**,** यह चिकित्सा अधिकारी की राय नहीं बल्कि अदालत की राय होती है।**[**पैरा **29] [53-**एफ**-**एच**; 54-**ए**-**डी**]3.** अभियोजन पक्ष को मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करके संबंधित चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था और इस तरह विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी।निचली अदालत के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय की ओर से इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दी था कि चूंकि ए में कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

37

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" के कारण मृतक की मौत का घटना से कोई संबंध नहीं है। चाहे मामला धारा **302** या **304** भाग **2** के तहत आता है**,** आई**.** पी**.** सी**.** का फैसला निचली अदालत द्वारा पूरे मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता था**,** जिसका नेतृत्व अभियोजन पक्ष के साथ**-**साथ बचाव पक्ष द्वारा किया जा सकता है**,** यदि कोई हो**,** तो रिकॉर्ड पर आता है।अंततः**,** मुकदमे के अंत में अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना करने पर**,** निचली अदालत एक या दूसरा दृष्टिकोण ले सकती है**,** चाहे वह हत्या का मामला हो या गैर**-**इरादतन हत्या का मामला।**[**पैरा **30,31] [54-**ई**-**जी**]**

4. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष केवल निचली अदालत द्वारा बनाए गए आरोप के अनुसार ही सबूत पेश कर सकता है।जहाँ एक उच्च आरोप नहीं बनाया गया है जिसके लिए सबूत है**,** अभियुक्त को यह मानने का अधिकार है कि उसे केवल उस कम अपराध के संबंध में अपना बचाव करने के लिए कहा गया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।तब उसके लिए उन अपराधों से संबंधित साक्ष्य का सामना करना आवश्यक नहीं है जिनके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है।वह केवल तय किए गए आरोप का जवाब देने के लिए है।संहिता उसे अभियोजन के नेतृत्व में सभी सबूतों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।उसे केवल आरोप से संबंधित सबूतों का खंडन करना है।अभियोजन पक्ष का मामला अनिवार्य रूप से आरोप द्वारा सीमित है।यह मुकदमे की नींव बनाता है जो इसके साथ शुरू होता है और आरोपी उचित रूप से अपने खिलाफ आरोप के विषय को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।उसे उन अपराधों के संबंध में गवाहों से जिरह करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर उसे आरोपित नहीं किया गया है और न ही उसे ऐसे आरोपों के संबंध में बचाव में कोई सबूत देने की आवश्यकता है।एक बार जब निचली अदालत किसी आरोपी व्यक्ति को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **302** के तहत दंडनीय अपराध से मुक्त करने का फैसला करती है और आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304** भाग **2** के तहत

दंडनीय अपराध के लिए कम आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है**,** तो उसके बाद अभियोजन पक्ष इस स्थिति में नहीं होगा। **[**पारस **32,33] [55-**बी**-**ई**]**

ग

डी.

ई.

च

भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य

जी.

(1979) 3 एससीसी 4:[1979] 2 एससीआर 229; दीपकभाई

जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य **(2019) 16** एससीसी

547 :[2019] 6 एससीआर **701;** सज्जन कुमार बनाम सीबीआई **(2010) 9** एससीसी **368:[2010] 11** एससीआर **669;** कर्नाटक राज्य

एच.

38 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

क.

वी.एम. आर. हीरेमथ (2019) 7 एस. सी. सी. 515:[2019] 8 एस. सी. आर. 713-निर्भर।

वी**.** सी**.** शुक्ला बनाम सी**.** बी**.** आई**.** के माध्यम से राज्य **(1980)** पूरक एस**.** सी**.** सी**.**

92 :[1980] 2 एस. सी. आर. 380 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 695; राज्य बनाम एस.

सेल्वी (2018) 13 एससीसी 455; विक्रम जौहर बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश (2019) 14 एस. सी. सी. 207:[2019] 8 एससीआर 1; असीम

शरीफ बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी **(2019) 7** एस**.** सी**.** सी**. 148:[2019] 8** एस**.** सी**.** आर**. 799;** भावना बाई बनाम घनश्याम

(2020) 2 एससीसी 217:[2019] 14 एससीआर 422; अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) 9 एससीसी 460; राज्य

महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा और अन्य **(1996) 4**

ग

एस**.** सी**.** सी**. 659-**संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1980] 2 एससीआर **380**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[1979] 2 एससीआर **229**

पर भरोसा किया

पैरा **21**

डी.

[2019] 6 एससीआर **701**

पर भरोसा किया

पैरा **22**

पैरा **23**

[2010] 11 एससीआर **669**

पर भरोसा किया

(2018) 13 एससीसी **455**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2019] 8 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

ई.

[2019] 8 एससीआर **799**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2019] 8 एससीआर **713**

पर भरोसा किया

पैरा **26 [2019] 14** एस**.** सी**.** आर**. 422** पैरा **27 [2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 988** पैरा **28 [1996] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **28** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 189**

च

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1041।

2020 के सीएम (एम) संख्या 99 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दिनांक 26.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

जी.

रमेश कुमार मिश्रा, संदीप पांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री तरुणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, अमृतेश राज, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, एस. अनन्या साहू, अहमद इब्राहिम, धीरज अब्राहम फिलिप, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

39

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील मूल शिकायतकर्ता (मृतक के पति) के कहने पर की गई है और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा श्रीनगर में 2020 के मुख्यमंत्री (एम) संख्या 99 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है, जिससे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोपोर (निचली अदालत) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें मूल अभियुक्त व्यक्तियों (प्रतिवादी संख्या 1 से 7) को भारतीय दंड संहिता की धारा (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया गया है।पुष्टि होने पर निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े।

ग

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

डी.

3. दंगीवाचा स्थित पुलिस थाने में अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) जिसमें सं. 26/20 दिनांक 22.03.2020 है, से यह प्रतीत होता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा की और अपीलार्थी की आवासीय संपत्ति में अतिक्रमण करने के बाद अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अपीलार्थी की आवासीय संपत्ति में अतिक्रमण किया और टिन की बाड़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।जब अपीलार्थी ने अभियुक्त व्यक्तियों को और कोई नुकसान पहुँचाने से रोकने की कोशिश की, तो उन सभी ने अपीलार्थी पर हाथ जोड़कर हमला करना शुरू कर दिया।कहा जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों में से एक ने अपीलार्थी को लकड़ी के लट्ठ से मारा था।इसमें अपीलार्थी की पत्नी और उसकी बहू। रुबीना रमजान अपीलार्थी के बचाव में आई।अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने मृतक (अपीलार्थी की पत्नी) और बहू को पकड़ लिया और दोनों को पीटा गया जिससे वे घायल हो गए।यह भी आरोप लगाया गया है कि परिवार की दो महिला सदस्यों को आरोपी व्यक्तियों द्वारा घसीटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के कपड़े फाड़ दिए गए थे जिससे उसकी शील भंग हो गई थी।

ई.

च

जी.

4. उपरोक्त घटना के संबंध में, अपीलार्थी दांगीवाचा के पुलिस थाने गया और प्राथमिकी दर्ज कराई। एफ. आई. आर. शुरू में आई. पी. सी. की धारा 147,354,323 और 451 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। मृतक (अपीलार्थी की पत्नी)

एच.

40

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क.

उसके शरीर पर चोट लगने के कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।जैसे ही मृतक को अस्पताल लाया गया, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।ऐसी परिस्थितियों में, आई. पी. सी. की धारा 303 को एफ़. आई. आर. में जोड़ा गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया।घटना के विभिन्न चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए।विभिन्न प्रकार के पंचनामे बनाए गए।जाँच के अंत में, पुलिस ने ऊपर बताए गए अन्य अपराधों के साथ-साथ हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

5. पोस्टमॉर्टम में मृतक की मृत्यु का कारण "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" बताया गया है।विसरा में कोई जहर नहीं पाया गया।

ग

6. ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने आरोप के सवाल पर अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष को भी सुना। अंततः, निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध से मुक्त करने के लिए उचित समझा और आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े।

डी.

7. इसमें अपीलार्थी, हत्या के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के ऐसे फैसले से व्यथित होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर करके आदेश की वैधता और वैधता को चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के अपराध से मुक्त करने के आदेश की पुष्टि करना उचित समझा।

ई.

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील लेकर आया है।

च

विश्लेषण

9. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह हैःक्या निचली अदालत द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को हत्या के अपराध से मुक्त करने के आदेश की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय उचित था?

जी.

10. इस स्तर पर, हम हत्या के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के उद्देश्य से निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार कर सकते हैं।

एच.

41

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

11. निचली अदालत ने अपने दिनांक 23.10.2020 के आदेश में क्रमशः पैराग्राफ 29 और 30 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“29. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और मृतक की मृत्यु से पहले के बयानों को स्कैन करते हुए, जिन्होंने अपने बयानों में कहा है कि आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता के परिसर में घुस गए और शिकायतकर्ता को किसी वस्तु

से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता घायल हो गई और आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की पत्नी और बहू की शील भंग कर दी।मृतक की धारा 161 के तहत बयान को देखते हुए, जो कथित अपराध के तुरंत बाद दर्ज किया गया था, मृतक ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने परिसर में प्रवेश किया और उसके पति पर हमला किया, जिसे किसी वस्तु से झटका दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया, जबकि उसने और उसकी बहू ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिस पर आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें बालों से पकड़ लिया और हाथों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गई और उसकी शील भंग हो गई।फाइल पर चिकित्सीय राय से पता चलता है कि मृतक के शरीर के ऊपरी और निचले होंठों को छोड़कर चेहरे पर खरोंच के साथ किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं थी।क्या इस तरह के कृत्य से मृतक की मृत्यु हुई है, इसका उल्लेख अभिलेख में कहीं भी नहीं किया गया है।चोट ज्ञापन में दिखाई देने वाली चोट भी ऐसे किसी परिणाम को नहीं दर्शाती है जिससे मृतक की मृत्यु हो सकती है।एफ. एस. एल. से प्राप्त रिपोर्ट भी कुछ भी नहीं दर्शाती है जो किसी भी तरह से अपराध करने से मृत्यु का निष्कर्ष निकाल सकती है।इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तत्व बनाए गए हैं और तत्काल मामला आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत निर्धारित संसदों के भीतर नहीं आता है।

ग

डी.

ई.

च

30. दंड संहिता दो प्रकार की हत्याओं को मान्यता देती है -(i) गैर-इरादतन हत्या, जो आई. पी. सी. की धारा 299 और 304 के बीच की है और (ii) गैर-गणनीय हत्या, जो आई. पी. सी. की धारा 304-ए से संबंधित है। दो प्रकार की गैर-इरादतन हत्याएँ होती हैं।(क) आई. पी. सी. की धारा 300 और (ख) आर. पी. सी. की धारा 304-II में गैर इरादतन हत्या। इस धारा में गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान है।अभियुक्त व्यक्ति आभासी मोड में है

जी.

एच.

जो बारामूला उप-जेल में बंद हैं, जिन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।अभियुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए आरोप पत्र की प्रति बारामूला उप-जेल अधीक्षक को भेजी गई थी, जो उसी को प्राप्त करने के बाद उसे सत्यापित करेंगे और आरोप पत्र को इस अदालत को भेजेंगे।अभियोजन पक्ष सुनवाई की अगली तारीख को सबूत पेश करेगा।04.11.20 लगाएँ।"

(बल दिया गया)उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“9. निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि निचली अदालत घायल गवाहों सहित चश्मदीद गवाहों के बयान और मृतक के बयान पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि धारा 302 आई. पी. सी. के तहत अपराध के तत्वों की कमी है।मृतक की चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी जांच आईडी1 पर दोपहर 3.15 बजे की गई थी और ऊपरी और निचले होंठों पर मामूली रक्तस्राव को छोड़कर, मृतक आयशा बेगम के शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई चोट नहीं थी और उस समय उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, संबंधित चिकित्सा अधिकारी ने आयशा बेगम की मृत्यु के बारे में राय दी है कि मृतक की मृत्यु पड़ोसियों के साथ कथित हाथापाई के इतिहास के साथ दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।यहां तक कि मृतक आयशा बेगम ने भी अपने बयान में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने उनके परिसर में प्रवेश किया और उनके पति (याचिकाकर्ता) को झटका दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया और जब उसने और उसकी बहू ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी उन्हें पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया,

जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गई और उसकी शील भंग हो गई।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है और यह नहीं कि मृतक की मृत्यु उसे लगी चोट के कारण हुई है।यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि मृतक की जाँच 22.03.2020 पर दोपहर 3.15 बजे चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी।याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उसे अस्पताल में 23.03.2020 पर सुबह 1.37 बजे मृत घोषित कर दिया गया था।निचली अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है।याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि निचली अदालत के पास गंभीर ए है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

43

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया लेकिन निचली अदालत ने केवल भौतिक तथ्यों की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए निजी प्रतिवादियों पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं और निचली अदालत का निष्कर्ष ही एकमात्र निष्कर्ष है जिसे अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से निकाला जा सकता है।

अभियोजन।" (जोर दिया गया)

13. अब हम अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित व्यक्तिगत आदेशों पर ध्यान देंगे।आरोप तय करने वाला ऐसा ही एक आदेश इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"एतद्द्वारा मिडासिर अहमद माग्रे के खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि आईडी1 पर आप अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर के आंगन में घुस गए और आप सभी ने टिन की बाड़ को उखाड़ना शुरू कर दिया।जब शिकायतकर्ता ने आपको और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए कहा, तो आप सभी ने शिकायतकर्ता पर हथियार से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को चोटें आईं और वह जमीन पर गिर गया।आपने शिकायतकर्ता की पत्नी को भी चोट पहुँचाई और उसकी शील भंग की।शिकायतकर्ता की पत्नी की आधी रात को 22/23.03.2020 पर मृत्यु हो गई।इसलिए, आप पर आईपीसी की धारा 451,323,324 और 304 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

14. अब हम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सी. आर. पी. सी.') दिनांक 23.03.2020 की धारा 161 के तहत दर्ज एक चश्मदीद गवाह के पुलिस बयान को देखेंगे।अन्य सभी चश्मदीद गवाहों के बयान एक ही आधार पर हैं।इस कथन में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“वली मोहम्मद शेख आर/ओ का वक्तव्यःगुलाम मोहि-उद-दीन शेख निवासी यारबुग, आयु-59 वर्ष, व्यवसाय-धारा 161 Cr.PC दिनांक 23-03-2020 के तहत किसान

मैं यारबुग का निवासी हूँ और पेशे से एक किसान हूँ।22-03-2020 पर, मैं नमाज़ पढ़ने गया और मस्जिद से अपने घर की ओर लौट रहा था।रास्ते में मैंने देखा कि अभियुक्त व्यक्ति 1 हैं।मोहम्मद मकबूल मगरे पुत्र मोहम्मद शबान मगरे;2. जहूर अहमद मागरे पुत्र मोहम्मद शबान मागरे;3. तारिक अहमद मागरे पुत्र मोहम्मद शबान मागरे;4. मुदस्सिर अहमद मगरे

जी.

एच.

44 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

एस/ओ मोहम्मद शबान मागरे;5. अब्दुल राशिद बेग पुत्र मोहम्मद बेग;6. सुहैल अहमद बेग पुत्र अब्दुल राशिद बेग; और 7.नासिर अहमद बेग पुत्र अब्दुल राशिद बेग निवासीःयारबुग रफियाबाद, एक पूर्व नियोजित संगीत कार्यक्रम के साथ एक गैरकानूनी सभा में, शिकायतकर्ता के आवासीय परिसर में घुस गया और उसकी टिन की बाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस तरह के कार्य पर आपत्ति जताई और उन्हें बताया कि उक्त टिन की दीवार का निर्माण पारस्परिक रूप से किया गया था।यह सुनकर, आरोपी व्यक्तियों ने एक सभा का गठन किया, शिकायतकर्ता को पकड़ लिया और उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया।इसके अलावा, उन्होंने शिकायतकर्ता को लकड़ी के लट्ठ से मारा, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया।शिकायतकर्ता की पत्नी एम. एस. टी. आशा बेगम और शिकायतकर्ता की बहू रुबीना रमजान शिकायतकर्ता को बचाने के लिए आईं।अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें लातों और वारों से पीटा जिससे दोनों को चोटें आईं।उक्त दो महिलाओं को आरोपी व्यक्तियों द्वारा घसीटा गया था, जिसके कारण उनकी शील भंग हो गई थी और शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा पहनी गई फरान को भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा फाड़ दिया गया था।शिकायतकर्ता ने तब इस घटना में पुलिस स्टेशन दांगीवाचा में लिखित शिकायत दर्ज कराई।10 बजेः00 प्रधान मंत्री, शिकायतकर्ता की पत्नी अर्थात् एम. एस. टी. आशिया बेगम, जिसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा पीटा गया और घायल किया गया था, ने गंभीर जटिलताओं की शिकायत की और उसे चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई।वास्तव में, मृतक की मृत्यु अभियुक्त व्यक्तियों के हमले और पिटाई और उनके द्वारा चोटों के कारण हुई थी।आज पुलिस दांगीवाचा ने मेरा बयान दर्ज किया और मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए।इसलिए, मेरा बयान।"

ग

डी.

ई.

च

कानून की स्थिति

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 226 जूरी के उन्मूलन के कारण मौखिक परिवर्तनों के साथ पुरानी धारा 286 की उप-धारा (1) से मेल खाती है।1898 की संहिता की धारा 286 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“286. (1) जूरी द्वारा विचारणीय मामले में, जब जूरी सदस्यों का चयन किया जाता है या किसी अन्य मामले में, जब न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए तैयार होता है, तो अभियोजक भारतीय दंड या अन्य कानून से आरोपित अपराध का विवरण पढ़कर अपना मामला शुरू करेगा।

और जल्द ही यह बताते हुए कि वह किस सबूत से अभियुक्त के अपराध को साबित करने की उम्मीद करता है।

(2) इसके बाद अभियोजक अपने गवाहों से पूछताछ करेगा।" 1973 की संहिता की धारा 226 इस प्रकार हैः

"226. अभियोजन के लिए मामला खोलना।— जब आरोपी

धारा 209 के तहत मामले की प्रतिबद्धता के अनुसरण में अदालत के समक्ष पेश किया जाता है या लाया जाता है, अभियोजक आरोपी के खिलाफ लाए गए आरोप का वर्णन करके और यह बताते हुए अपना मामला खोलेगा कि वह आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए किस सबूत का प्रस्ताव करता है।"

ग

सी. आर. पी. सी. की धारा 226 अभियोजन पक्ष को किसी मामले के संबंध में पहला प्रभाव डालने की अनुमति देती है, जिसे दूर करना मुश्किल हो सकता है।सी. आर. पी. सी. की धारा 226 के तहत अपने अधिकार पर जोर नहीं देना, अभियोजन पक्ष खुद को नापसंद करना होगा।यदि अभियुक्त यह तर्क देता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 226 का पालन न करने के कारण उसके खिलाफ मामले की व्याख्या नहीं की गई है, तो इसका उत्तर यह होगा कि मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की रिपोर्ट की धारा 173 (2) इसका उचित विचार देगी, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत आरोप तय करने का चरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के चरण को पार करने के बाद प्राप्त होता है, जो अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को अपनी प्रतिद्वंद्वी दलीलें रखने का उचित अवसर प्रदान करता है।

डी.

ई.

16. सी. आर. पी. सी. की धारा 227 इस प्रकार हैः

"227. निर्वहन।**–**

यदि, मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

च

17. सी. आर. पी. सी. की धारा 228 इस प्रकार हैः

जी.

"228. प्रभार की संरचना।- (1) यदि, उपरोक्त रूप में ऐसे विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने एक ऐसा अपराध किया है जो-(क) विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं है, तो वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और आदेश द्वारा,

एच.

मुकदमे के लिए मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित करें और आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसी तारीख को, जो वह उचित समझे, उपस्थित होने का निर्देश दें, और उसके बाद ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट मामलों के मुकदमे की प्रक्रिया के अनुसार अपराध की सुनवाई करेगा।

(ख) न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य होने पर, वह अभियुक्त के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करेगा।

(2) जहां न्यायाधीश उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत कोई आरोप तय करता है, वहां आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा और आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध के लिए दोषी है या मुकदमा चलाने का दावा करता है।"

ग

18. आरोप तय करने का उद्देश्य अभियुक्त को आरोप की स्पष्ट, स्पष्ट और सटीक प्रकृति से अवगत कराना है जिससे अभियुक्त को मुकदमे के दौरान मिलने के लिए बुलाया जाता है।[देखिएःचार का निर्णय

डी.

सी. बी. आई. के माध्यम से वी. सी. शुक्ला बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ।

1980 सप एस. सी. सी. 92 में रिपोर्ट किया गयाः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 695)।19. मामला सत्र का मामला, वारंट का मामला या समन का मामला हो सकता है, मुद्दा यह है कि आरोप तय करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना चाहिए।मूल रूप से, सी. आर. पी. सी. में तीन जोड़ी अनुभाग हैं। वे हैं-सत्र विचारण से संबंधित धारा 227 और 228; वारंट मामलों के विचारण से संबंधित धारा 239 और 240 और समन मामले के विचारण के संबंध में धारा 245 (1) और (2)।

ई.

20. समय के साथ सी. आर. पी. सी. की धारा 226 गुमनामी में चली गई है।सी. आर. पी. सी. की धारा 226 के प्रावधान के बारे में हमारी समझ यह है कि अदालत द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने से पहले, लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह अभियोजन के मामले के संबंध में अदालत को एक उचित विचार दे।

च

21. भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार के मामले में यह न्यायालय

सामल और एक अन्य, (1979) 3 एस. सी. सी. 4, जांच के दायरे पर विचार करते हुए एक न्यायाधीश को आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय ऐसा करना आवश्यक है।इस मुद्दे पर मामले के कानून के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“(1) कि न्यायाधीश ने संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए निस्संदेह ए

एच.

अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की शक्ति।

(2) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, वहां न्यायालय आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगा।

(3) प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम निर्धारित करना मुश्किल है।तथापि, यदि मोटे तौर पर दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह को जन्म देते हुए लेकिन गंभीर संदेह को जन्म नहीं देते हैं, तो वह पूरी तरह से अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अपने अधिकार के भीतर होगा।(4) कि संहिता की धारा 227 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश है, केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी दुर्बलताओं आदि पर विचार करना होगा।लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की बारी-बारी से जांच करनी चाहिए और सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो।"

ग

डी.

ई.

22. इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय हैं जो आरोप तय करने के संबंध में न्यायालय की शक्तियों के दायरे को रेखांकित करते हैं।

च

आपराधिक मामला, उनमें से एक दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम।

गुजरात राज्य, (2019) 16 एस. सी. सी. 547, जिसमें आरोप और निर्वहन के निर्धारण से संबंधित कानून पर पैराग्राफ 15 और 23 में विस्तार से चर्चा की गई है और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“15. हम लाभप्रद रूप से, इस संबंध में, बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने आरोप तय करने और निर्वहन से संबंधित सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

जी.

“4.....धारा 227 और 228 को एक साथ पढ़ने पर, जैसा कि उन्हें मिला है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुकदमे के प्रारंभ और प्रारंभिक चरण में सच्चाई,

एच.

अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए।मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और एक संवेदनशील संतुलन में विचार करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं।परीक्षण और निर्णय का मानक जो अंततः अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले लागू किया जाना है, संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले को तय करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है।उस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्त को

दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है या क्या मुकदमा उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है।अभियुक्त के खिलाफ प्रबल संदेह, यदि मामला संदेह के क्षेत्र में रहता है, तो मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय के लिए यह कहना खुला नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।अभियुक्त के अपराध का अनुमान जो प्रारंभिक चरण में निकाला जाना है, फ्रांस में आपराधिक मामलों के मुकदमे को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है जहां अभियुक्त को दोषी माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।अभियोजक जिस साक्ष्य को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है, भले ही उसे प्रतिपरीक्षा में चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किया जाए, यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा।यदि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के बारे में व्यापक प्रमाण मुकदमे के समापन पर भी कुछ ऐसे ही हैं, तो संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामला उसके बरी होने में समाप्त हो जाता है।लेकिन अगर, दूसरी ओर, यह धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से और आम तौर पर ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

49

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

जो आदेश दिया जाना है वह धारा 228 के तहत एक होगा न कि धारा 227 के तहत।"

“23. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से जो करने की अपेक्षा की जाती है, वह केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है।न्यायालय को वास्तव में अपने समक्ष सामग्री की छान-बीन करनी चाहिए।जाँच की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उत्पादित और उस पर निर्भर किया जाता है। जाँच इस अर्थ में सावधानी से नहीं की जानी चाहिए कि न्यायालय एक पूर्ण परीक्षण के बाद पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करने के बाद दलीलें सुनने वाले विचारण न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालता है और सवाल यह नहीं है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है।बस इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्रियों के साथ, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए एक मामला बनाया जाता है।एक मजबूत संदेह पर्याप्त है।हालांकि, कुछ सामग्री पर एक मजबूत संदेह स्थापित किया जाना चाहिए।सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवाद किया जा सके।प्रबल संदेह न्यायाधीश की नैतिक धारणाओं के आधार पर विशुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकती है कि यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो।दृढ़ संदेह वह संदेह होना चाहिए जो कुछ सामग्री पर आधारित हो जो अदालत के समक्ष खुद को इस प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मानता है कि आरोपी ने अपराध किया है।"

ग

डी.

ई.

23. सज्जन कुमार बनाम सी. बी. आई. [(2010) 9 एस. सी. सी. 368:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1371], इस न्यायालय के पास सी. आर. पी. सी. की धारा 227 और 228 के दायरे पर विचार करने का अवसर था। इससे जो सिद्धांत सामने आए हैं, उन पर पैरा 21 में निम्नलिखित रूप में ध्यान दिया गया हैः(एस. सी. सी. पीपी. 376-77)

च

"21. संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों के विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(i) न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की निस्संदेह शक्ति है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं।प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

जी.

एच.

50 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

((ii) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो अदालत आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी।

((ग) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के कुल प्रभाव, किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करना होगा। हालाँकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष की बारीकी से जांच नहीं की जा सकती है और सबूतों को ऐसे तौला नहीं जा सकता है जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा हो।

ग

((iv) यदि अभिलेख की सामग्री के आधार पर, अदालत यह राय बना सकती है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकती है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

डी.

(v) आरोप तैयार करने के समय, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन आरोप तैयार करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए और यह संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।(vi) धारा 227 और 228 के स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे उनके अंकित मूल्य पर सामने आने वाले तथ्य कथित अपराध का गठन करने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छान-बीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष जो कुछ भी सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है उसे स्वीकार करे, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के खिलाफ हो।

ई.

च

जी.

(vii) यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह देखने का अधिकार नहीं होगा कि परीक्षण दोषसिद्धि में समाप्त होगा या दोषमुक्त।"

एच.

51

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

24. इस विषय पर कानून के स्पष्टीकरण पर इस न्यायालय द्वारा राज्य बनाम एस. एस. सेल्वी, (2018) 13 एस. सी. सी. 455 में आगे विचार किया गया हैः(2018)

3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 710, विक्रम जौहर बनाम उत्तर राज्य में अनुसरण किया गया।

प्रदेश (2019) 14 एस. सी. सी. 207:2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 609:(2019) 6 स्केल 794।

25. असीम शरीफ बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले में,

(2019) 7 एस. सी. सी. 148, यह न्यायालय, जिसमें हममें से एक (ए. एम. खानविलकर, जे.) एक पक्षकार थे, ने इतने शब्दों में व्यक्त किया है कि निचली अदालत से रिकॉर्ड पर साक्ष्य को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक छोटा मुकदमा आयोजित करने की उम्मीद नहीं है या माना जाता है।हम प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत करते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“18. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विषय पर कानून के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया जाता है कि सत्र मामलों (जो वारंट मामलों से संबंधित धारा 239 सी. आर. पी. सी. के समान है) में धारा 227 सी. आर. पी. सी. के तहत आरोप तैयार करने के प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायाधीश के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की निस्संदेह शक्ति है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं; जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो आरोप तैयार करने में अदालत पूरी तरह से उचित होगी; मोटे तौर पर अगर दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह से अलग है, 3 2018 (13) एस.यह स्पष्ट है कि जबकि

ग

डी.

ई.

सी. आर. पी. सी. की धारा **227** के तहत दायर आरोपमुक्त करने के आवेदन की जांच करते हुए, ट्रायल जज से यह उम्मीद की जाती है कि वह यह निर्धारित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करेगा कि मुकदमा चलाने का मामला बनाया गया है या नहीं।यह सच है कि ऐसी कार्यवाहियों में, न्यायालय को अभिलेख पर साक्ष्य को जोड़-तोड़ करके एक लघु परीक्षण आयोजित करने की अपेक्षा नहीं है।"

च

(जोर दिया गया)

जी.

26. कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ के मामले में, रिपोर्ट किया गया

(2019) 7 एस. सी. सी. 515 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“25. उच्च न्यायालय को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के प्रावधानों के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार कर रही थी। द.

एच.

52 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

इस अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों की अभिव्यक्ति इस न्यायालय के कई निर्णयों में पाई गई है।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य, उसके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।राज्य में टी. एन. वी.एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस. सी. सी. 709, ने इस विषय पर पहले के फैसलों का समर्थन करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पीपी. 721-22, पैरा 29)

ग

“29. ... इस स्तर पर, सामग्री के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी।हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है।इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है।कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।"

डी.

ई.

27. इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निचली अदालत को आरोप तय करते समय अपने दिमाग को लागू करने का कर्तव्य दिया गया है और इसे केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर समर्थन अपने दिमाग को लागू किए बिना और अपनी राय के समर्थन में संक्षिप्त कारणों को दर्ज किए बिना कानून द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, आरोप तय करने के समय अदालत द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होनी चाहिए जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती है और उस पर भरोसा किया जाता है।ऐसी सामग्री की छान-बीन इतनी सावधानी से नहीं की जानी चाहिए कि आरोपी के अपराध या अन्यथा का पता लगाने के लिए अभ्यास को एक छोटा परीक्षण बना दिया जाए।इस स्तर पर केवल इतना आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है।एक मजबूत संदेह भी पर्याप्त होगा।निस्संदेह, ए के अलावा

च

जी.

एच.

53

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

जिस सामग्री को अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट के रूप में न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, न्यायालय किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो और जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए आरोप पर सीधा असर हो।

(देखिए:भावना बाई बनाम घनश्याम, (2020) 2 एससीसी 217)।28. अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) 9 एस. सी. सी. 460 में, यह

न्यायालय ने पैराग्राफ 30 में कहा कि विधानमंडल ने अपने विवेक में

इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया कि "यह मानने का आधार है कि अभियुक्त

अपराध किया है "।अनुमान का एक अंतर्निहित तत्व है।इसने महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा और अन्य**, (1996) 4** एस**.** सी**.** सी**. 659** के मामले में दिए गए अपने फैसले का उल्लेख किया और अश्वेतों के कानून शब्दकोश पर भरोसा करते हुए **"**अनुमान**"** शब्द के अर्थ का उल्लेख किया।

ग

जहाँ इसका अर्थ "संभावित साक्ष्य पर विश्वास करना या स्वीकार करना" के रूप में परिभाषित किया गया था; "तब तक सच के रूप में लेना जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य आने वाला न हो।"दूसरे शब्दों में, मामले की सच्चाई तब सामने आनी चाहिए जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है, बचाव पक्ष द्वारा गवाहों से जिरह की जाती है, संहिता की धारा 313 के संदर्भ में अभियुक्त को आपत्तिजनक सामग्री और साक्ष्य दिए जाते हैं, और फिर अभियुक्त को बचाव का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है, यदि कोई हो।इस तरह के कदमों के पूरा होने पर ही मुकदमे का समापन न्यायालय द्वारा अपनी अंतिम राय बनाने और अपना निर्णय देने के साथ होता है।

डी.

(जोर दिया गया) 29।निचली अदालत ने इस मामले में क्या किया?हमारे मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर सबूतों को जोड़ते हुए एक छोटा सा मुकदमा चलाया था।निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को हत्या के अपराध से मुक्त करने के लिए उचित समझा और केवल रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए आगे बढ़े।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" बताया गया है, इसे कथित हमले के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है जो मृतक पर लगाया गया था।निचली अदालत का ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है और इसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, अपने आप में, ठोस सबूत नहीं है।क्या "हृदय श्वसन विफलता" का विचाराधीन घटना के साथ कोई संबंध था, यह चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ संबंधित चिकित्सा अधिकारी यानी विशेषज्ञ गवाह के मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्धारित करना होगा, जिसकी जांच की जा सकती है।

ई.

च

जी.

एच.

अभियोजन द्वारा अपने गवाहों में से एक के रूप में।दूसरे शब्दों में कहें तो, क्या मृत्यु के कारण का आरोपी व्यक्तियों द्वारा मृतक पर कथित हमले के साथ कोई संबंध है, इसका निर्धारण चश्मदीद गवाहों और विशेषज्ञ गवाह के मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ अन्य ठोस साक्ष्य के रिकॉर्ड में होने के बाद ही किया जा सकता था।मृत शरीर की जाँच के आधार पर डॉक्टर का पोस्टमॉर्टम रिपोट उसका पिछला बयान होता है।यह ठोस प्रमाण नहीं है।अदालत में डॉक्टर का बयान ही एकमात्र ठोस सबूत है।पोस्टमॉर्टम रिपॉट का उपयोग केवल धारा 157 के तहत उनके बयान की पुष्टि करने के लिए, या धारा 159 के तहत उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, या साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के तहत गवाह-बॉक्स में उनके बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है।न्यायालय की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया एक चिकित्सा गवाह तथ्य का गवाह नहीं होता है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में परीक्षा में पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया गया एक सलाहकार चरित्र का होता है।विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह उन आंकड़ों सहित सभी सामग्रियों को अदालत के समक्ष रखे जो उसे निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करती हैं और विज्ञान की शर्तों को समझाते हुए मामले के तकनीकी पहलू पर अदालत को प्रबुद्ध करती हैं ताकि अदालत, हालांकि कोई विशेषज्ञ विशेषज्ञ की राय को उचित सम्मान देने के बाद उन सामग्रियों पर अपना निर्णय बना सके क्योंकि एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार हो जाने के बाद, यह चिकित्सा अधिकारी की राय नहीं बल्कि अदालत की राय होती है।

ग

डी.

30. अभियोजन पक्ष को मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करके संबंधित चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था और इस तरह विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय की ओर से इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि चूंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए "कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर" के कारण मृतक की मृत्यु को विचाराधीन घटना के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता है।

ई.

च

31. चाहे मामला धारा 302 या 304 भाग 2 के तहत आता है, आई. पी. सी. का फैसला निचली अदालत द्वारा पूरे मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता था, जिसका नेतृत्व अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष द्वारा किया जा सकता है, यदि कोई हो, तो रिकॉर्ड पर आता है।अंततः, मुकदमे के अंत में अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, निचली अदालत एक या दूसरा दृष्टिकोण ले सकती है, चाहे वह हत्या का मामला हो या गैर-इरादतन हत्या का मामला।लेकिन आरोप तय करने के चरण में, निचली अदालत केवल रिकॉर्ड पर पोर्ट मॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा करके इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती थी।उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के ए की अनदेखी की

जी.

एच.

55

गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगेरी और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में मौलिक दुर्बलता और उसी की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़े।

32. हम अब इस मुद्दे पर एक अलग कोण से विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष केवल निचली अदालत द्वारा बनाए गए आरोप के अनुसार ही सबूत पेश कर सकता है।जहाँ एक उच्च आरोप नहीं बनाया गया है जिसके लिए सबूत है, अभियुक्त को यह मानने का अधिकार है कि उसे केवल उस कम अपराध के संबंध में अपना बचाव करने के लिए कहा गया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।तब उसके लिए उन अपराधों से संबंधित साक्ष्य का सामना करना आवश्यक नहीं है जिनके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है।वह केवल तय

किए गए आरोप का जवाब देने के लिए है।संहिता उसे अभियोजन के नेतृत्व में सभी सबूतों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल आरोप से संबंधित सबूतों का खंडन करना है।अभियोजन पक्ष का मामला अनिवार्य रूप से आरोप द्वारा सीमित है।यह मुकदमे की नींव बनाता है जो इसके साथ शुरू होता है और आरोपी उचित रूप से अपने खिलाफ आरोप के विषय-वस्तु को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।उसे उन अपराधों के संबंध में गवाहों से जिरह करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर उसे आरोपित नहीं किया गया है और न ही उसे ऐसे आरोपों के संबंध में बचाव में कोई सबूत देने की आवश्यकता है।

ग

डी.

33. एक बार जब निचली अदालत किसी आरोपी व्यक्ति को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से मुक्त करने का फैसला करती है और आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कम आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसके बाद अभियोजन पक्ष इस स्थिति में नहीं होगा।अन्यथा कहने के लिए, अभियोजन पक्ष इसके बाद आगे बढ़ने के लिए मजबूर होगा जैसे कि उसे अब केवल गैर-इरादतन हत्या का मामला स्थापित करना है न कि हत्या का।दूसरी ओर, भले ही निचली अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए मामले के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है, फिर भी आरोपी के लिए मुकदमे के अंत में अदालत को यह समझाने के लिए खुला होगा कि मामला केवल आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के दायरे में आता है। ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र में रखे गए अपने मूल मामले के अनुसार उचित साक्ष्य देने की अनुमति देना अधिक विवेकपूर्ण होगा।कभी-कभी विचारण न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण साबित हो सकता है।

ई.

च

जी.

34. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ निचली अदालत के आदेश को भी दरकिनार किया जाना चाहिए।35. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

एच.

निचली अदालत अब इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार आरोप तय करने के लिए एक नया आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगी।

36. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।इस निर्णय में टिप्पणियां पूरी तरह से प्रथम दृष्टया और केवल आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के आदेश की वैधता और वैधता तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि अंततः मुकदमे के अंत में अपराध की प्रकृति के संबंध में उचित निर्णय लेना निचली अदालत का काम है।

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.